

C/F (48)

RBE No. 115/2001

GOVERNMENT OF INDIA/ BHARAT SARKAR  
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA  
(RAILWAY BOARD)

No.F(NG)I-96/PM3/6

New Delhi, dated 13.6.2001


The General Managers(P)  
All Indian Railways  
(As per standard list).

Sub:-Educational qualification for promotion as Train Examiners  
(redesignated as JE (C&W) Gr.II in scale Rs.5000-8000).

In terms of the instructions contained in Board's letter of even number dated 17.7.97 read with Para 142(1)(iii) of IREM, Vol.I, 1989 Edition as amended vide ACS No.60 issued under this Ministry's letter No.E(NG)II/96/RR1/31 dated 14.9.98, from 1.1.2000, 25% of the posts in the category of Train Examiners (since redesignated as Junior Engineer (C&W) Gr.II ) in scale Rs.5000-8000(RSRP) are to be filled by staff possessing the qualification of Matriculation.

2. Pursuant to a demand by the staff side in the Departmental Council under the JCM scheme to review the above instructions, the matter has been considered by this Ministry. It has been decided that existing staff in service as on 31.12.99 may be given two chances to appear in the selection for promotion as Train Examiner in grade Rs.5000-8000 against the 25% promotion quota with eligibility conditions as were in force upto 31.12.1999. However, the two chances should be availed of by the staff concerned within a period of two years of issue of this letter.

3. Please acknowledge receipt.

  
(J.S.Gusain)  
JOINT DIRECTOR ESTD.(N)  
Railway Board

.....2/-



No.E(NG)I- 96/PM3/6

New Delhi, dated 13.6.2001

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (90 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).

  
for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to MR, MSR(D), MSR(OR).

PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME.

PPSs to AM(S), AM(ME), ADV(IR), DG/RHS, DG/RPF, ADG(DS).

PSs to EDE, EDV, EDE(N), EDE(Res), EDA, EDE(IR), EDE(RRB), EDPC-I&II, D(MPP), DPC, DE(Res), JDE(R)I&II, JDE(Rep), JDE(D&A), JDPC, JDE(L), DDE(R)I&II, DD(Code Revision), DDE(LR)I, JDE(N)II, JDE(N)III, E(NG)II, E(O)III, E(GR)II, E(Rep)I,II&III, E(SCT)I&II, E(MPP), SEC(E), PR Branch, E(G) with two spares, AC-III(15 spares), Code Revision Cell-5 spares.

आर.जी.ई.सं.115/2001

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड

सं. ई एन जी 1-96/पी स्म 3/6

नई दिल्ली, दि.13.6.2001


महाप्रबंधक, कार्मिक,  
सभी भारतीय रेलें  
मानक सूची के अनुसार

विषय : 5000-8000 रु. के वेतनमान में गाड़ी परीक्षक कनिष्ठ इंजीनियर  
कैरेज एवं वैगन ग्रेड 11 के रूप में पुनः पदनामित के रूप में  
पदोन्नति के लिए शैक्षिक अर्हता ।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द 1, 1989 संस्करण के पैरा 142  
11.11 के साथ पठित बोर्ड के दिनांक 17.7.97 के समसंख्यक पत्र में अंतर्निहित  
अनुदेशों के अनुसार, जिसे इस मंत्रालय के दिनांक 14.9.98 के पत्र सं. ई एन जी  
11/96/आर आर-1/31 के अंतर्गत जारी की गई अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 60 द्वारा  
संशोधित किया गया है, 1.1.2000 से 5000-8000 रु. रे.से.सं.वे. के वेतनमान  
में गाड़ी परीक्षक की कोटि जिसे अभी कनिष्ठ इंजीनियर कैरेज एवं वैगन ग्रेड 11  
के रूप में पुनः पदनामित किया गया है में 25% पद मैट्रिक की अर्हता रखने वाले  
कर्मचारियों द्वारा भरे जाने होते हैं ।

2. उपर्युक्त अनुदेशों की समीक्षा के लिए संयुक्त वर्ता तंत्र योजना के अंतर्गत  
विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष द्वारा की गई मांग के अनुसरण में, रेल मंत्रालय  
द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है । यह विनिश्चय किया गया है कि  
31.12.99 को गौजूद कर्मचारियों को 31.12.99 को लागू पात्रता शर्तों पर 25%  
पदोन्नति कोटे में 5000-8000 रु. के ग्रेड में गाड़ी परीक्षक के रूप में पदोन्नति के  
लिए चयन में भाग लेने के दो अवसर दिए जाएंगे । लेकिन, संबंधित कर्मचारियों द्वारा  
इस पत्र के जारी होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर इन अवसरों का लाभ उठा  
लिया जाए ।

3. कृपया पावती दें ।

  
जे. एस. गुप्ता  
संयुक्त निदेशक, स्था. अराज.  
रेलवे बोर्ड



सं. ई ॥ एन जी ॥ 1-96/पी एम 3/6

नई दिल्ली, दि. 13.6.2001

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :-

1. महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली, ॥ 35 प्रतियां ॥
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली ॥ 35 प्रतियां ॥
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ॥ 90 प्रतियां ॥
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली ॥ 5 प्रतियां ॥
5. महासचिव, भारतीय रेलवे प्रोमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली ॥ 5 प्रतियां ॥

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड